

संचिका संख्या-ब-15/बी0एस0जी0-11/2020-383/वि0

बिहार सरकार
वित्त विभाग

प्रेषक,

पंकज कुमार सिन्हा,
संयुक्त सचिव-सह-बजट पदाधिकारी।

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार, बिहार, पटना
महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार, पटना
अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक:- 20.03.2020

विषय:- बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2020 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2020-21 में उपबंधित राशि के व्यय के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि बिहार विधान मंडल से पारित वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बिहार विनियोग(संख्या-2) विधेयक, 2020 पर महामहिम राज्यपाल ने दिनांक: 19.03.2020 को स्वीकृति प्रदान कर दी है। विधि विभाग ने बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2020 (बिहार अधिनियम 4, 2020) को अधिसूचना संख्या-एल0जी0-01-01/2020/लेज: 1971 एवं 1972 (अंग्रेजी अनुवाद) दिनांक: 20.03.2020 द्वारा अधिसूचित किया है, जिसे बिहार गजट असाधारण के अंक संख्या-215 दिनांक-20.03.2020 से प्रकाशित किया गया है।

2. बिहार गजट असाधारण के अंक संख्या-215 दिनांक-20.03.2020 की पाँच प्रतियाँ, प्रधान महालेखाकार, बिहार, पटना को एवं 35 प्रतियाँ महालेखाकार, ले0 एवं हक0 को तथा सभी विभागों को एक-एक प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैं।

3. उपर्युक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष 2020-21 में बजट में प्रावधानित राशि का व्यय 01 अप्रील 2020 से 31 मार्च, 2021 तक नियमानुसार किया जा सकता है। राशि के व्यय की अधिकतम सीमा अधिनियम की अनुसूची के कॉलम-6 में अंकित राशि तक सीमित है। अगर कोई नये उपशीर्ष में राशि प्रावधानित की गयी हो तो उस उपशीर्ष से राशि का व्यय महालेखाकार से उक्त उपशीर्ष के खोलने संबंधी सहमति पत्र प्राप्त होने के उपरांत ही किया जाना है।

4. संबंधित गजट को बिहार गजट के वेबसाइट <http://egazette.bih.nic.in/> पर देखी जा सकती है। संबंधित यह सूचना वित्त विभाग के वेबसाइट <http://finance.bih.nic.in> पर भी प्रकाशित की जा रही है।

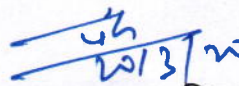
विश्वासभाजन,

(पंकज कुमार सिन्हा)

संयुक्त सचिव-सह-बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक— ब-15/बी0एस0जी0-11/2020-383/वि0 पटना, दिनांक: 20.03.2020

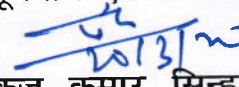
प्रतिलिपि—महामहिम राज्यपाल के सचिव/महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय/आरक्षी महानिदेशक, बिहार, पटना/महानिदेशक, अभियोजन निदेशालय, गृह विभाग/सचिव, बिहार विधान सभा/विधान परिषद्/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/अध्यक्ष, बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग/स्थानीय आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, नई दिल्ली/मुख्य मंत्री के सचिव/मंत्री, वित्त विभाग के आप्त सचिव/लोकायुक्त के सचिव/सचिव, राजस्व पर्षद/महानिरीक्षक, कारा, गृह विभाग/राज्य सूचना आयोग के सचिव/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विकास आयुक्त के सचिव को बिहार गजट की एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(पंकज कुमार सिन्हा)

संयुक्त सचिव-सह-बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक— ब-15/बी0एस0जी0-11/2020-383/वि0 पटना, दिनांक: 20.03.2020

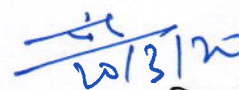
प्रतिलिपि—सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी उप कोषागार पदाधिकारी को बिहार गजट की एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(पंकज कुमार सिन्हा)

संयुक्त सचिव-सह-बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक— ब-15/बी0एस0जी0-11/2020-383/वि0 पटना, दिनांक: 20.03.2020

प्रतिलिपि— निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण निदेशालय/निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय/निदेशक, श्रम निदेशालय, श्रम संसाधन विभाग/निदेशक, पुरातत्व निदेशालय/निदेशक, संग्रहालय निदेशालय, कला संस्कृति एवं युवा विभाग/निदेशक, गव्य निदेशालय/निदेशक, मत्स्य निदेशालय/निदेशक, पशुपालन निदेशालय, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग/निदेशक, जन शिक्षा/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/निदेशक, उच्च शिक्षा/निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण/निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्/निदेशक, सामाज कल्याण निदेशालय, समाज कल्याण विभाग/निदेशक, कृषि निदेशालय, कृषि विभाग/निदेशक, चकबंदी/निदेशक, भू-अर्जन निदेशालय/निदेशक, सर्वे निदेशालय, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/निदेशक, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय/निदेशक, अभिलेखाकार/निदेशक, भूमि संरक्षण/निदेशक, देशी चिकित्सा/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें/निदेशक, सांस्थिक वित्त/ प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार/सचिव, वाणिज्य-कर न्यायधिकरण/मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार, पटना को बिहार गजट की एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(पंकज कुमार सिन्हा)

संयुक्त सचिव-सह-बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक— ब-15/बी0एस0जी0-11/2020-383/वि0 पटना, दिनांक: 20.03.2020

प्रतिलिपि— अभिलेखागार पदाधिकारी, बिहार, पटना/उप सचिव, बिहार विधान सभा पुस्तकालय/अवर सचिव, बिहार विधान परिषद् पुस्तकालय को बिहार गजट की 5-5 प्रतियाँ अभिलेख संधारण हेतु प्रेषित।

(पंकज कुमार सिन्हा)

संयुक्त सचिव-सह-बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक ब-15/बी0एस0जी0-11/2020-383/वि0 पटना, दिनांक: 20.03.2020

प्रतिलिपि— मुख्य लेखा नियंत्रक, वित्त (अंकेक्षण) विभाग/निदेशक, प्रेस एवं स्टेशनरी/संयुक्त आयुक्त, लेखा प्रशासन/अपर सचिव, प्रभारी पदाधिकारी, वित्त शाखा-4 एवं 5/ अपर सचिव, प्रभारी शाखा-10/ अपर सचिव, ई-गवर्नेंस कोषांग/ अपर सचिव, कोषागार शाखा/ अपर सचिव, स्थापना/ अपर सचिव, लेखा शाखा/ उप सचिव, लोक उद्यम ब्यूरो/ निदेशक, सांस्थिक वित्त/ प्रभारी पदाधिकारी, वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग, वित्त विभाग/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/सचिव(व्यय) के आप्त सचिव/सचिव संसाधन के आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, शाखा-10, 13 एवं 4 को बिहार गजट की एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(पंकज कुमार सिन्हा)

संयुक्त सचिव-सह-बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक— ब-15/बी0एस0जी0-11/2020-383/वि0 पटना, दिनांक: 20.03.2020

प्रतिलिपि— स्थानीय लेखा परीक्षक, स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा कार्यालय, महालेखाकार (लेखा परीक्षा), वीरचन्द्र पटेल मार्ग, बिहार, पटना को बिहार गजट की एक प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(पंकज कुमार सिन्हा)

संयुक्त सचिव-सह-बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक— ब-15/बी0एस0जी0-11/2020-383/वि0 पटना, दिनांक: 20.03.2020

प्रतिलिपि— संयुक्त सचिव, बजट/सभी उप बजट नियंत्रक/प्रणाली विश्लेषक/आई0टी0 मैनेजर ई-गवर्नेंस कोषांग को बिहार गजट की एक प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। प्रणाली विश्लेषक/आई0टी0 मैनेजर ई-गवर्नेंस कोषांग को निदेशित किया जाता है कि इसे विभागीय वेबसाइट पर डाल दें तथा सभी विभागों/जिला पदाधिकारियों /कोषागार पदाधिकारियों को ई मेल भी कर दें।

(पंकज कुमार सिन्हा)

संयुक्त सचिव-सह-बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक— ब-15/बी0एस0जी0-11/2020-383/वि0 पटना, दिनांक: 20.03.2020

प्रतिलिपि— बजट शाखा के सभी सहायक बजट नियंत्रक/प्रशाखा पदाधिकारी/सहायकगण को बिहार गजट की एक प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(पंकज कुमार सिन्हा)

संयुक्त सचिव-सह-बजट पदाधिकारी



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

30 फाल्गुन 1941 (श10)
(सं0 पटना 215) पटना, शुक्रवार, 20 मार्च 2020

विधि विभाग

अधिसूचना

20 मार्च 2020

सं० एल०जी०-01-01/2020/1971 लेज।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 19 मार्च 2020 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मदन किशोर कौशिक,
सरकार के सचिव।

[बिहार अधिनियम 4, 2020]

बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2020

बिहार राज्य की संचित निधि में से 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान सेवाओं के लिए शोधन और विनियोग प्राधिकृत करने के लिए अधिनियम ।

भारत-गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।-

- (1) यह अधिनियम बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2020 कहा जा सकेगा ।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।
- (3) यह 01 अप्रैल 2020 के प्रभाव से प्रवृत्त होगा ।

2. 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए बिहार राज्य की संचित निधि में से कुल 216020,35,45,000 (दो लाख सोलह हजार बीस करोड़ पैंतीस लाख पैतालीस हजार) रुपये की निकासी।- बिहार राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित सेवाओं के संबंध में, 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर शोधन के दौरान आने वाले अनेक भागों की पूर्ति के लिए अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित राशियों से अनधिक राशियाँ, जो कुल 216020,35,45,000 (दो लाख सोलह हजार बीस करोड़ पैंतीस लाख पैतालीस हजार) रुपये तक होंगी, शोधित और उपयोजित की जा सकेंगी।

3. विनियोग ।- इस अधिनियम द्वारा जिन राशियों को बिहार राज्य की संचित निधि में से शोधित और उपयोजित करने का प्राधिकार दिया गया है, उन्हें 31वीं मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के संबंध में अनुसूची में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजनों के निमित्त विनियोजित किया जायेगा ।

अनुसूची

(धाराएं 2 और 3 देखें)

मांग/ विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूँजी	राशि की अधिसीमा (रुपये)		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
01	कृषि विभाग	राजस्व	31028142000	0	31028142000
		पूँजी	5000000000	0	5000000000
02	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	राजस्व	11789197000	0	11789197000
		पूँजी	18000	0	18000
03	भवन निर्माण विभाग	राजस्व	8653196000	0	8653196000
		पूँजी	45303992000	0	45303992000
04	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	राजस्व	3804951000	0	3804951000
		पूँजी	1300084000	0	1300084000
05	राज्यपाल सचिवालय	राजस्व	0	296305000	296305000
		पूँजी	0	0	0
06	निर्वाचन विभाग	राजस्व	7972243000	0	7972243000
		पूँजी	0	0	0

अनुसूची
(धाराएं 2 और 3 देखें)

मांग/ विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूंजी	राशि की अधिसीमा (रूपये)		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
07	निगरानी विभाग	राजस्व	427205000	0	427205000
		पूंजी	0	0	0
08	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	राजस्व	1692662000	0	1692662000
		पूंजी	0	0	0
09	सहकारिता विभाग	राजस्व	11326274000	0	11326274000
		पूंजी	357540000	0	357540000
10	ऊर्जा विभाग	राजस्व	42962370000	0	42962370000
		पूंजी	12639347000	0	12639347000
11	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	राजस्व	16414626000	0	16414626000
		पूंजी	185000000	0	185000000
12	वित्त विभाग	राजस्व	3276158000	9725400000	13001558000
		पूंजी	39115000000	0	39115000000
13	सूद भुगतान	राजस्व	0	129246581000	129246581000
		पूंजी	0	0	0
14	ऋण अदायगियां	राजस्व	0	0	0
		पूंजी	0	70352726000	70352726000
15	पेंशन	राजस्व	204541042000	140524000	204681566000
		पूंजी	0	0	0
16	पंचायती राज विभाग	राजस्व	101352065000	0	101352065000
		पूंजी	4800000000	0	4800000000
17	वाणिज्य-कर विभाग	राजस्व	1964276000	0	1964276000
		पूंजी	0	0	0
18	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	राजस्व	15794440000	0	15794440000
		पूंजी	150001000	0	150001000
19	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	राजस्व	5739339000	0	5739339000
		पूंजी	650000000	0	650000000

अनुसूची
(धाराएं 2 और 3 देखें)

मांग/ विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूंजी	राशि की अधिसीमा (रूपये)		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
20	स्वास्थ्य विभाग	राजस्व	91294303000	0	91294303000
		पूंजी	18082500000	0	18082500000
21	शिक्षा विभाग	राजस्व	339504756000	0	339504756000
		पूंजी	12405700000	0	12405700000
22	गृह विभाग	राजस्व	116024827000	0	116024827000
		पूंजी	4810132000	0	4810132000
23	उद्योग विभाग	राजस्व	6567396000	0	6567396000
		पूंजी	2591100000	0	2591100000
24	सूचना एवं जनसंपर्क विभाग	राजस्व	2381790000	0	2381790000
		पूंजी	0	0	0
25	सूचना प्रावैधिकी विभाग	राजस्व	1235201000	0	1235201000
		पूंजी	1500000000	0	1500000000
26	श्रम संसाधन विभाग	राजस्व	8595181000	0	8595181000
		पूंजी	100000000	0	100000000
27	विधि विभाग	राजस्व	9157119000	0	9157119000
		पूंजी	0	0	0
28	उच्च न्यायालय	राजस्व	0	1822764000	1822764000
		पूंजी	0	0	0
29	खान एवं भूतत्व विभाग	राजस्व	535057000	0	535057000
		पूंजी	0	0	0
30	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	राजस्व	2372447000	0	2372447000
		पूंजी	2950000000	0	2950000000
31	संसदीय कार्य विभाग	राजस्व	23043000	0	23043000
		पूंजी	0	0	0
32	विधान मंडल	राजस्व	2248694000	14620000	2263314000
		पूंजी	0	0	0

अनुसूची
(धाराएं 2 और 3 देखें)

मांग/ विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूंजी	राशि की अधिसीमा (रूपये)		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
33	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व	7356208000	77332000	7433540000
		पूंजी	0	0	0
34	बिहार लोक सेवा आयोग	राजस्व	0	285359000	285359000
		पूंजी	0	0	0
35	योजना एवं विकास विभाग	राजस्व	8119014000	0	8119014000
		पूंजी	12896600000	0	12896600000
36	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	राजस्व	6064467000	0	6064467000
		पूंजी	52500000000	0	52500000000
37	ग्रामीण कार्य विभाग	राजस्व	12148883000	0	12148883000
		पूंजी	94240000000	0	94240000000
38	मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग	राजस्व	2804765000	0	2804765000
		पूंजी	0	0	0
39	आपदा प्रबंधन विभाग	राजस्व	86968578000	0	86968578000
		पूंजी	58000000	0	58000000
40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	राजस्व	8927412000	0	8927412000
		पूंजी	452002000	0	452002000
41	पथ निर्माण विभाग	राजस्व	16373619000	0	16373619000
		पूंजी	50687501000	0	50687501000
42	ग्रामीण विकास विभाग	राजस्व	159402770000	0	159402770000
		पूंजी	150100000	0	150100000
43	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	राजस्व	2584986000	0	2584986000
		पूंजी	780000000	0	780000000
44	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	राजस्व	17208136000	0	17208136000
		पूंजी	40000000	0	40000000
45	गन्ना उद्योग विभाग	राजस्व	1189530000	0	1189530000
		पूंजी	0	0	0

अनुसूची
(धाराएं 2 और 3 देखें)

मांग/ विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूंजी	राशि की अधिसीमा (रूपये)		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
46	पर्यटन विभाग	राजस्व	624909000	0	624909000
		पूंजी	2211400000	0	2211400000
47	परिवहन विभाग	राजस्व	3586943000	0	3586943000
		पूंजी	140000000	0	140000000
48	नगर विकास एवं आवास विभाग	राजस्व	71637154000	0	71637154000
		पूंजी	500000000	0	500000000
49	जल संसाधन विभाग	राजस्व	10958719000	0	10958719000
		पूंजी	29577400000	0	29577400000
50	लघु जल संसाधन विभाग	राजस्व	4115883000	0	4115883000
		पूंजी	7875000000	0	7875000000
51	समाज कल्याण विभाग	राजस्व	79741641000	0	79741641000
		पूंजी	201900000	0	201900000
योग राजस्व			1548491617000	141608885000	1690100502000
योग पूंजी			399750317000	70352726000	470103043000
महायोग			1948241934000	211961611000	2160203545000

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मदन किशोर कौशिक,
सरकार के सचिव।

20 मार्च 2020

सं० एल०जी०-01-01/2020/1972/लेज—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 19 मार्च 2020 को अनुमत बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2020 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मदन किशोर कौशिक,
सरकार के सचिव।

[Bihar Act 4, 2020]
THE BIHAR APPROPRIATION (No.-2) ACT, 2020
AN
ACT

TO AUTHORISE PAYMENT AND APPROPRIATION OF CERTAIN AMOUNT FROM AND OUT OF THE CONSOLIDATED FUND OF THE STATE OF BIHAR FOR THE SERVICES DURING THE YEAR ENDING OF THE THIRTY FIRST DAY OF MARCH, 2021.

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the seventy first year of the Republic of India as follows:-

1. Short title, extent and commencement .-

- (1) This Act may be called the Bihar Appropriation (No.-2) Act, 2020.
- (2) It shall extend to the whole of the state of Bihar.
- (3) It shall come into force with effect from 1st April 2020.

2. Withdrawal of Rs. 216020,35,45,000 (Two Lakh sixteen Thousand twenty Crore thirty five Lakh forty five Thousand) out of the Consolidated Fund of the State of Bihar for the year ending on the 31st March 2021.—From and out of the Consolidated Fund of the Bihar, there may be paid and applied amount not exceeding those mentioned in column-6 of the Schedule amounting in the aggregate to the sum of Rs. 216020,35,45,000 (Two Lakh sixteen Thousand twenty Crore thirty five Lakh forty five Thousand), only towards defraying the several charges which will come in course of payment during the year ending on the thirty first day of March 2021, in respect of the services specified in column-2 of the Schedule.

3. Appropriation.— The amount authorized to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Bihar by this Act shall be appropriated for and in respect of the services and purposes mentioned in the Schedule in relation to the year ending on the thirty first day of March, 2021.

Schedule

(See Sections 2 and 3)

Grant/ Appropriation number	Services and purposes to which the appropriation relates	Revenue Capital	Sums not exceeding (In Rupees)		
			Grant made by the Bihar Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund of the State	Total
1	2	3	4	5	6
01	Agriculture Department	Revenue	31028142000	0	31028142000
		Capital	5000000000	0	5000000000
02	Animal and Fisheries Resource Department	Revenue	11789197000	0	11789197000
		Capital	18000	0	18000
03	Building Construction Department	Revenue	8653196000	0	8653196000
		Capital	45303992000	0	45303992000
04	Cabinet Secretariat Department	Revenue	3804951000	0	3804951000
		Capital	1300084000	0	1300084000

Schedule

(See Sections 2 and 3)

Grant/ Appropriation number	Services and purposes to which the appropriation relates	Revenue Capital	Sums not exceeding (In Rupees)		
			Grant made by the Bihar Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund of the State	Total
1	2	3	4	5	6
05	Secretariat of the Governor	Revenue	0	296305000	296305000
		Capital	0	0	0
06	Election Department	Revenue	7972243000	0	7972243000
		Capital	0	0	0
07	Vigilance Department	Revenue	427205000	0	427205000
		Capital	0	0	0
08	Art, Culture and Youth Department	Revenue	1692662000	0	1692662000
		Capital	0	0	0
09	Co-operative Department	Revenue	11326274000	0	11326274000
		Capital	357540000	0	357540000
10	Energy Department	Revenue	42962370000	0	42962370000
		Capital	12639347000	0	12639347000
11	BC and MBC Welfare Department	Revenue	16414626000	0	16414626000
		Capital	185000000	0	185000000
12	Finance Department	Revenue	3276158000	9725400000	13001558000
		Capital	39115000000	0	39115000000
13	Interest Payment	Revenue	0	129246581000	129246581000
		Capital	0	0	0
14	Repayment of Loans	Revenue	0	0	0
		Capital	0	70352726000	70352726000
15	Pension	Revenue	204541042000	140524000	204681566000
		Capital	0	0	0
16	Panchayati Raj Department	Revenue	101352065000	0	101352065000
		Capital	4800000000	0	4800000000
17	Commercial Tax Department	Revenue	1964276000	0	1964276000
		Capital	0	0	0
18	Food and Consumer Protection Department	Revenue	15794440000	0	15794440000
		Capital	150001000	0	150001000

Schedule

(See Sections 2 and 3)

Grant/ Appropriation number	Services and purposes to which the appropriation relates	Revenue Capital	Sums not exceeding (In Rupees)		
			Grant made by the Bihar Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund of the State	Total
1	2	3	4	5	6
19	Environment , Forest and Climate Change	Revenue	5739339000	0	5739339000
		Capital	650000000	0	650000000
20	Health Department	Revenue	91294303000	0	91294303000
		Capital	18082500000	0	18082500000
21	Education Department	Revenue	339504756000	0	339504756000
		Capital	12405700000	0	12405700000
22	Home Department	Revenue	116024827000	0	116024827000
		Capital	4810132000	0	4810132000
23	Industries Department	Revenue	6567396000	0	6567396000
		Capital	2591100000	0	2591100000
24	Information and Public Relation Department	Revenue	2381790000	0	2381790000
		Capital	0	0	0
25	Information Technology Department	Revenue	1235201000	0	1235201000
		Capital	1500000000	0	1500000000
26	Labour Resource Department	Revenue	8595181000	0	8595181000
		Capital	100000000	0	100000000
27	Law Department	Revenue	9157119000	0	9157119000
		Capital	0	0	0
28	High Court of Bihar	Revenue	0	1822764000	1822764000
		Capital	0	0	0
29	Mines and Geology Department	Revenue	535057000	0	535057000
		Capital	0	0	0
30	Minorities Welfare Department	Revenue	2372447000	0	2372447000
		Capital	2950000000	0	2950000000
31	Parliamentary Affairs Department	Revenue	23043000	0	23043000
		Capital	0	0	0
32	Legislature	Revenue	2248694000	14620000	2263314000
		Capital	0	0	0

Schedule

(See Sections 2 and 3)

Grant/ Appropriation number	Services and purposes to which the appropriation relates	Revenue Capital	Sums not exceeding (In Rupees)		
			Grant made by the Bihar Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund of the State	Total
1	2	3	4	5	6
33	General Administration Department	Revenue	7356208000	77332000	7433540000
		Capital	0	0	0
34	Bihar Public Service Commission	Revenue	0	285359000	285359000
		Capital	0	0	0
35	Planning and Development Department	Revenue	8119014000	0	8119014000
		Capital	12896600000	0	12896600000
36	Public Health Engineering Department	Revenue	6064467000	0	6064467000
		Capital	52500000000	0	52500000000
37	Rural Works Department	Revenue	12148883000	0	12148883000
		Capital	94240000000	0	94240000000
38	Prohibition, Excise and Registration Department	Revenue	2804765000	0	2804765000
		Capital	0	0	0
39	Disaster Management Department	Revenue	86968578000	0	86968578000
		Capital	58000000	0	58000000
40	Revenue and Land Reforms Department	Revenue	8927412000	0	8927412000
		Capital	452002000	0	452002000
41	Road Construction Department	Revenue	16373619000	0	16373619000
		Capital	50687501000	0	50687501000
42	Rural Development Department	Revenue	159402770000	0	159402770000
		Capital	150100000	0	150100000
43	Science and Technology Department	Revenue	2584986000	0	2584986000
		Capital	780000000	0	780000000
44	SC & ST Welfare Department	Revenue	17208136000	0	17208136000
		Capital	40000000	0	40000000
45	Sugar Industries Department	Revenue	1189530000	0	1189530000
		Capital	0	0	0
46	Tourism Department	Revenue	624909000	0	624909000
		Capital	2211400000	0	2211400000

Schedule

(See Sections 2 and 3)

(See Sections 2 and 3)

Grant/ Appropriation number	Services and purposes to which the appropriation relates	Revenue Capital	Sums not exceeding (In Rupees)		
			Grant made by the Bihar Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund of the State	Total
1	2	3	4	5	6
47	Transport Department	Revenue	3586943000	0	3586943000
		Capital	1400000000	0	1400000000
48	Urban Development and Housing Department	Revenue	71637154000	0	71637154000
		Capital	5000000000	0	5000000000
49	Water Resources Department	Revenue	10958719000	0	10958719000
		Capital	29577400000	0	29577400000
50	Minor Water Resource Department	Revenue	4115883000	0	4115883000
		Capital	7875000000	0	7875000000
51	Social Welfare Department	Revenue	79741641000	0	79741641000
		Capital	2019000000	0	2019000000
Total Revenue			1548491617000	141608885000	1690100502000
Total Capital			399750317000	70352726000	470103043000
Grand Total			1948241934000	211961611000	2160203545000

By Order of the Governor of Bihar,
Madan Kishore Kaushik,
Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 215-571+400-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>